न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस

म्यूटेशन अपील संख्या –110 / 2020
जी.सी.एम.एस.पोर्टल नम्बर–2020 / 00137

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
गुर्गा उर्फ पपुड़ी पुत्री स्व. प्रभुराम पत्नी नरपतराम उम्र 45 वर्ष जाति जाट निवासी बरणगांव हाल निवासी खरनाल तहसील मूण्डवा जिला नागौर।		1. भंवरूराम पुत्र स्व. प्रभुराम 2. नरसीराम पुत्र स्व. प्रभुराम 3. बजरंगराम पुत्र स्व. प्रभुराम 4. भाऊराम पुत्र स्व. प्रभुराम जातियान जाट निवासीगण बरणगांव तहसील व जिला नागौर। 5. बाऊ पुत्री स्व. प्रभुराम पत्नी रामाराम जाति जाट निवासी हाल जोरावरपुरा तहसील मूण्डवा जिला नागौर। 6. टकु पुत्री स्व. प्रभुराम पत्नी नरसीराम जाति जाट निवासी हाल सिणोद तहसील व जिला नागौर। 7. तहसीलदार, नागौर। 8. यूको बैंक शाखा कुमारी तहसील नागौर जरिये शाखा प्रबंधक। 9. भारतीय स्टेट बैंक शाखा नागौर जरिये शाखा प्रबंधक।

उपस्थिति :–
1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री रूघाराम जोगपाल।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या–2 की ओर से वकील श्री अमित कुमार बारूपाल, रेस्पोडेन्ट संख्या–7 की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 8 की ओर से श्री महेन्द्र कुमार शर्मा ।

निर्णय **दिनांक : 02-12-2021**

अपीलांट ने धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत वाके मौजा बरणगांव का म्यूटेशन संख्या 308 जो तहसीलदार (भू.अ.) नागौर द्वारा दिनांक 04.02.2008 को स्वीकृत किया गया है, से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 23.07.2020 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील ताबे उज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर, अधिनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया व रेस्पोडेण्टस् को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 3 से 6 व 9 ने हस्तगत प्रकरण की सुनवाई कार्यवाही में भाग नहीं लिया।

वकील अपीलान्ट ने मियाद प्रार्थना–पत्र के साथ अपना शपथ–पत्र पेश किया है। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि हस्तगत म्यूटेशन की अपीलांट को कोई जानकारी पूर्व में नही रही थी, हस्तगत म्यूटेशन से संबंधित भूमि अपीलांट के पिता प्रभुराम से प्राप्त पुश्तेनी संयुक्त कब्जासुद भूमि रही है जिसमें अपीलांट का जन्म से कानूनन हक हिस्सा व कब्जा काश्त रहता चला आया है मगर अपीलांट के पिता की देहान्त [illegible] के पश्चात् अपीलांट के भाईयों ने चालाकी से छल कपट व धोखाधड़ी करते हुए [illegible] के नाम म्यूटेशन भरवा लिया, जिसकी अपीलांट को कोई जानकारी नहीं [illegible] दी व अब रेस्प[illegible] उक्त गलत बनाये गये राजस्व रेकर्ड की आड में विवादित भूमियों को [illegible] से बेचान, गिरवी, हस्तान्तरण करने व अपीलांट को अब काश्त [illegible] देने पर अपीलांट ने [illegible] 29 व 30.06.2020 को म्युटेशन व राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की तब सर्वप्र[illegible] इस विधि विरूद्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2022.01.17 15:59:41 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर,नागौर

स्वीकृत करवाये गये नामान्तरकरण की जानकारी हुई इस कारण अपीलांट को अपने विधिक अधिकारों के तहत् तुरन्त अब अपील पेश करनी आवश्यक हुई है जिसे जानकारी से अन्दर मियाद शुमार किया जाना न्यायोचित होने का कथन करते हुए न्यायहित में देरी माफ कर तारीख जानकारी से अपील अन्दर मियाद शुमार करने का निवेदन किया है। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस के समर्थन में आर. आर.टी. 2018–19(सुप.)पेज 239–244 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया।

वकील रेस्पोडेन्ट श्री अमित कुमार बारूपाल ने वकील अपीलान्ट की बहस का समर्थन करते हुऐ प्रार्थी का मयाद प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

वकील रेस्पोडेन्ट श्री महेन्द्र कुमार शर्मा ने बहस में कथन किया की प्रकरण में वादग्रस्त भूमि बैंक के पास रहन रखी हुई है तथा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट 1 से 6 ने मिलावट कर यह अपील पेश की है, जो अत्यधिक विलम्ब से मयाद बाहर पेश की मयाद प्रार्थना पत्र में अपीलान्ट को म्यूटेशन जैर अपील की जानकारी किस दिनांक को व किस जरिये से प्राप्त हुई यह कहीं भी स्पष्ट नहीं किया है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 09.09.2005 से पूर्व अपीलान्ट के पिता प्रभुराम फौत हो जाने से अपीलान्ट का उक्त भूमि अधिकार भी नहीं रहा है, इसलिए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील भी विधि अनुसार उचित नहीं होने का कथन करते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र मय अपील को खारिज करने का निवेदन किया है। वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस के समर्थन में एआईआर 2016 (सुप्रिम कोर्ट) पेज 769–782, अपेक्स कोर्ट जजमेन्टस् 2013(3) पेज 742–755, आर. आर.टी. 2014(1) पेज–154–158, आर.आर.टी. 2017(1) पेज–252–258, अपेक्स कोर्ट जजमेन्टस् 2014(1) पेज 288–292 न्यायिक दृष्टांन्त प्रस्तुत किये।

राजपैरोकार ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद बाहर होने का कथन करते हुए मयाद प्रार्थना पत्र व अपील खारिज करने का निवेदन किया।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र एवं बहस में किये गये कथन पर विचार किया गया। प्रकरण अपील में दिये गये तथ्यों के मध्यनजर अपील की मेरिट पर सुनवाई कर गुणावगुण के आधार पर निहित होने से अपीलांट का मयाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलान्ट को अन्दर मयाद शुमार की जाती है।

वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपील में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि अपीलांट तथा रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 6 सगे भाई बहिन है जो एक ही हिन्दु परिवार के सदस्य रहे है तथा हिन्दू विधि से गर्वन होते है पक्षकारान सभी स्व. प्रभुराम पुत्र धुलाराम के वारीस/विधिक उतराधिकारीगण (अपीलांट तथा रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 6 पुत्र व पुत्रियां) है। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 6 की पुश्तेनी खातेदारीसुदा व सहकब्जा काश्त की अविभाजित भूमियां खेताय खसरा नम्बर 70, 81, 84, 189, 640 जिनके हाल खसरा नम्बर 70 रकबा 7.14 बीघा, खसरा नम्बर 81 रकबा 9.08 बीघा, खसरा नम्बर 640 रकबा 15.14 बीघा, खसरा नम्बर 189 रकबा 6.00 बीघा, खसरा नम्बर 723/640 रकबा 15.14 बीघा, खसरा नम्बर 724/189 रकबा 5.19 बीघा, खसरा नम्बर 84 रकबा 17.09 बीघा वाके सरहद मौजा बरणगांव तहसील नागौर में स्थित है। उक्त तमाम खसरान अपीलांट व रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 6 की बडेरो से प्राप्त पुश्तेनी खातेदारी की संयुक्त कब्जासुद अविभाजित भूमियां रही है और पुश्तेनी होने से अपीलांट के पिता प्रभुराम के देहान्त के पश्चात् अपीलांट व रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 6 का इन खेताय में बराबर हक हिस्सा कानूनन निहित हुआ, रहा व है। अपीलांट के पिता प्रभुराम का स्वर्गवास दिनांक 1.5.2005 को होने के पश्चात् जरिये फौतगी म्युटेशन संख्या 308 दिनांक 4.2.2008 को उक्त आराजी अपीलांट व रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 6 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज होनी चाहिए थी मगर रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 4 जो अपीलांट के भाई है इन्होने जानबूझकर मिलावटी ढंग से ऐसा नहीं होने दिया व षडयंत्रपूर्वक तरीके से अपीलांट को अनभिज्ञ रखते हुऐ धोखाधडी से अपने अकेलो के नाम नामान्तरकरण दर्ज करवा कर बाकी हिस्सेदारो यानी अपीलांट व उसकी दीगर बहिनो रेस्पोडेन्ट्स संख्या 5 व 6 को उनके विधिक हक, हिस्से से वंचित करने की कुचेष्टा से बाले–बाले रेकर्ड में त्रुटिपूर्वक नामान्तकरण संख्या 308 दिनांक 4.2.2008 के जरिये रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 4 ने अपने अकेलो के नाम गलत व विधि विरूद्ध ढग से खातेदारी दर्ज करवा ली, इतना ही नही उतरोतर त्रुटिपूर्वक बने राजस्व रेकर्ड में तब्दीली करवाते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 ने मनमर्जी से उक्त खसरान का अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2022.01.17 16:59:41 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

नाम अलग–अलग बटा नम्बर में भी खतौनी में दर्ज करवा लिया जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 ने बडी चालाकी से छल कपट व धोखाधडी करते हुए एंव अपीलांट के भाईयों ने अपराधिक नियत से ऐसा कोई गैर कानूनी कृत्य किया है जिसकी अपीलांट को कोई जानकारी नहीं होने दी व अब रेस्पोडेन्ट्स उक्त गलत बनाये गये राजस्व रेकर्ड की आड में विवादित भूमियों को बिना हक, अधिकारी के गैर कानूनी रूप से बेचान, गिरवी, हस्तान्तरण करने व अपीलांट को अब काश्त नहीं करने की धमकियां देने व सदेव के लिए उसके विधिक हक हिस्से से महरूम करने की योजना बना ली है व पिछले 8–10 दिनो से ऐसी खुली धमकियां दी जा रही है व अपीलांट को बताया गया है कि पुश्तेनी खेतो के रेकर्ड में अपीलांट व उसकी दीगर बहिनो का नाम दर्ज नहीं है व रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 4 इन खेतो को अपनी मर्जी अनुसार अजनबी लोगो को बेचान करेगे तब अपीलांट को आश्चर्य हुआ व अपीलांट ने उक्त विवादित म्युटेशन व दीगर राजस्व रेकर्ड की जांच पडताल करवाई व नकले प्रापत की तब दिनांक 29 व 30.06.2020 को सर्वप्रथम यह जानकारी हुई कि विवादित पुश्तेनी भूमियो के राजस्व रेकर्ड में अपीलांट व उसकी दीगर बहिनो का नाम दर्ज नहीं है।

म्युटेशन जेर अपील कतेई गलत, विधि विरूद्ध व बिना किसी जांच के भरा गया होने से काबिल खारिज किये जाने के है। विरासत के म्युटेशन भरते समय जो विधिक जांच करनी आवश्यक होती है वह जांच इस प्रकरण में नहीं की गयी है तथा वादी के पिता स्व. प्रभुराम के 7 वारीसान मे से मात्र चार पुत्र वारीसान के हक में ही म्युटेशन भरा गया है जो सर्वथा विधि विरूद्ध है। अपीलांट रेस्पोडेन्ट्स संख्या 4 की सगी बहिन व स्व. प्रभुराम की जांयदा पुत्री है, अपीलांट के माता पिता का देहान्त हो रखा है उक्त पुश्तेनी भूमि में अपीलांट का जन्म से हक हिस्सा कानूनन निहित हुआ व निरन्तर निर्बाध अपीलांट का मौके पर कब्जा उपयोग उपभोग रहता चला आया है लेकिन अपीलांट व उसकी दीगर बहिने जो महिलाजात है उनकी अनपढता का नाजायज फायदा उठाकर रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 4 ने छल कपट धोखाधडी से फौतगी म्युटेशन में बहिनों का यानि स्व. प्रभुराम की पुत्रीयों का नाम दर्ज नहीं होने दिया व अकेले रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 4 ने अपना नाम दर्ज करवा लिया व अब अपीलांट के हिस्से की सम्पूर्ण भूमि को हडपना चाहते है व लाठी के बल पर अपीलांट को उसके कानूनी हक, हिस्से, अधिकार व कब्जासुद भूमि से सदैव के लिए बेदखल करने की खुली धमकियां दे रहे है ऐसी स्थिति में विवादित नामान्तरकरण जैर अपील विधि विरूद्ध व आधे अधूरे उतराधिकारीगण के नाम दर्ज होने से शुरू से ही अवैध होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

स्व. प्रभुराम के देहान्त के पश्चात् ऊपर बताये अनुसार स्व. प्रभुराम के चार पुत्रगण व तीन पुत्रीयां यानि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट्स सांख्या 1 से 6 विधिक उतराधिकारी हुऐ, रहे व है और उक्त आराजी में इनका प्रत्येक का बहिस्सा बराबर 1/7–1/7 कानूनन, हक, हिस्सा अधिकार निहित हुवा, रहा व है जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के होते हुए भी तहसीलदार के समक्ष मिथ्या तथ्य प्रकट कर मिथ्या घोषणा करते हुए छल कपट धोखाधडी से फर्जी तरीके से विवादित नामान्तरकरण दर्ज करवा कर यह जानते हुऐ कि यह छल कपट व धोखाधडी से तैयार किया हुआ है फिर भी उसको असल रूप में व सही होना बताकर उतरोतर रेकर्ड में तब्दीली करते हुऐ गंभीर अपराधिक कृत्य भी कारित किया है व अब उक्त विवादित नामान्तरकरण से संबंधित आराजी को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 5 व 6 अपीलांट की बहिने होने से व बैंकों के यहां भूमि रहन होने से सभी को आवश्यक पक्षकार होने से रेस्पोडेन्ट दर्ज किया जाकर अपील पेश की जा रही है जो माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार की होने का कथन करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की [illegible] म्युटेशन जेर अपील विधि विरूद्ध होने से खारिज/संशोधित/ अपास्त कि[illegible] राम जाट निवासी बरणगांव तहसील नागौर सभी विधिक वारीसान अपीलांट व रे[illegible] संख्या 1 से 6 के नाम म्युटेशन दर्ज करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2022.01.17 15:59:41 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

वकील रेस्पोडेन्ट श्री अमित कुमार बारूपाल ने वकील अपीलान्ट की बहस का समर्थन करते हुऐ बहस में वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करने पर कोई आपत्ति नहीं होने का निवेदन किया है।

वकील रेस्पोडेन्ट श्री महेन्द्र कुमार शर्मा ने बहस में कथन किया कि अपीलान्ट का वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का नियमान्तर्गत कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील म्यूटेशन विधिवत होने से अपीलान्ट की अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार ने वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुऐ बहस में कथन किया कि वकील अपीलान्ट द्वारा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 5 व 6 स्व0 श्री प्रभुराम पुत्र धूलाराम की पुत्रियां होने के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं करने का कथन करते हुऐ अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में ग्राम बरणगांव तहसील नागौर के खसरा नम्बर 58 के सहखातेदार एवं खसरा नम्बर 70, 81, 84, 189, 640 के खातेदार प्रभुराम पुत्र धूलाराम जाति जाट का दिनांक 01.05.2005 को स्वर्गवास हो जाने पर खातेदार श्री प्रभुराम के वारिसान भंवरूराम, नरसीराम, बजरंगराम, भाउराम पि. प्रभूराम जाति जाट के नाम नामान्तरकरण संख्या 308 पटवारी हल्का बरणगांव द्वारा भरा गया एवं भू–अभिलेख निरीक्षक कुमारी द्वारा जॉच कर अंकन सही होने की रिपोर्ट की गई एवं अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) नागौर द्वारा दिनांक 04.02.2008 को उक्त नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है। वकील अपीलान्ट द्वारा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 5 व 6 स्व0 श्री प्रभुराम पुत्र धूलाराम की पुत्रियां होने के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं है, परन्तु यदि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या–5 व 6 स्व0 प्रभुराम पुत्र धूलाराम की पुत्रियां होना पाया जाता है, तो विधि अनुसार स्व0 श्री प्रभुराम पुत्र धूलाराम की विवादित भूमि में इनका भी हक, अधिकार बनता है। खातेदार की फौतगी पर उसकी भूमि के संबंध में नामान्तरकरण फौत खातेदार के वारिसान की जॉच कर तत्पश्चात उसके विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत विधिक वारिसान के नाम भर कर स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। हस्तगत प्रकरण में नामान्तरकरण जैर अपील तथा नामान्तरकरण से संबंधित मूल रिकार्ड तहसीलदार (भू.अ.) कलेक्ट्रेट नागौर से चाहा गया था, जिस पर उनके द्वारा मूल नामान्तरकरण जैर अपील भिजवाया है, परन्तु नामान्तरकरण जैर अपील स्वीकृत करने से संबंधित मूल रिकार्ड नहीं भिजवाया है। नामान्तरकरण जैर अपील के अवलोकन से फौतगी का नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना तो स्पष्ट है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वारिसान की जॉच के संबंध में किस साक्ष्य के आधार पर फौतगी का नामान्तरकरण जैर अपील स्वीकृत किया, यह स्पष्ट नहीं है। अतः प्रकरण में मृतक खातेदार श्री प्रभूराम के वारिसान की जॉच कर संबंधित को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः नये सीरे से आदेश पारित करने हेतु प्रकरण तहसीलदार (भू.अ.) नागौर को रिमाण्ड किया जाना उचित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। नामान्तरकरण जैर अपील निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार (भू.अ.) नागौर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्रकरण से संबंधित पक्षकारों को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान कर मृतक खातेदार श्री प्रभूराम के वारिसान की जॉच कर, नियमानुसार नये सीरे आदेश पारित करे। तहसीलदार(भू.अ.) कलेक्ट्रेट नागौर को मूल नामान्तरकरण लौटाया जावे एवं तहसीलदार (भू.अ.) कलेक्ट्रेट नागौर व तहसीलदार (भू.अ.) नागौर को निर्णय की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2022.01.17 15:59:41 IST
Reason: SelfAttested

(जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर,नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)